न्यायालय अतिरिक्त सभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बईजलास श्री बृजमोहन बैरवा आर0ए0एस0 अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्या: 160/2022/अपील/एलआरएक्ट/बांरा
दायरा दिनांक: 21.9.2022
अन्तर्गत धारा: 75 राज0भू राजस्व अधि0, 1956

उनवान

1. काली बाई पत्नी स्व0 हरलाल
2. प्रेमचन्द आत्मज स्व0 हरलाल
3. पुरूषोत्तम आत्मज स्व0 हरलाल
4. रामेश्वर आत्मज स्व0 हरलाल

जाति धाकड निवासीगण ग्राम आमापुरा तहसील बांरा जिला बांरा–राज0।

...अपीलांट्स

बनाम

1. घांसीलाल आत्मज गणेश राम जाति चमार निवासी ग्राम खण्डेला तहसील किशनगंज जिला बांरा जरिये हरिराम आ0 बाबूलाल ऐरवाल निवासी शिवकालोनी बांरा तहसील व जिला बांरा।
2. पुरूषोत्तम आ0 रामकरण जाति धोबी निवासी ग्राम कलमण्डा तहसील बांरा जिला बारां।
3. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार बांरा जिला बांरा।

... रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थित : श्री नरेन्द्र कुमार गुप्ता अभिभाषक–अपीलांट्स
श्री चन्द्रप्रकाश खण्डेलवाल अभिभाषक– रेस्पोडेन्ट क्रम– 2

::निर्णय::

दिनांक 27.6.2024

अपीलार्थी ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बांरा जिला बांरा (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा प्रकरण सं0 8/2016 उनवान घांसीलाल बनाम पुरूषोत्तम आदि मे पारित निर्णय दिनांक 20.12.2021 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) के विरूद्व अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1 अपील के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है, कि रेस्पो0 क्रम–1 ने अधीनस्थ न्यायालय मे प्रार्थना पत्र धारा 136 एजआरएक्ट का पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी के खाते व कब्जे की आराजी ख0 नं0 97 रकबा 0.70 है0 है व पुरूषोत्तम पुत्र रामकरण धोबी नि0 कलमण्डा की ख0 नं0 810/97 रकबा 0.71 है वाके काल आमापुरा स्थित है। ख0 नं0 810/97 ख0 नं0 97 से बना है। सेटलमेन्ट से पूर्व ख0 नं0 97 के पुराने ख0 नं0 112 है। सेटलमेंट विभाग द्वारा ख0 नं0 97 नक्शा छोटा कर दिया जो पुराने ख0 नं0 112 के नक्शे अनुसार नही है जिसे दुरूस्त कराने का वह अधिकारी है। उपखण्ड अधिकारी बांरा द्वारा उक्त आशय का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विवादित आराजी ग्राम आमापुरा के ख0 नं0 96 मे से 0.10 है0 भूमि कम कर ख0 नं0 97 मे बढाई जाकर राजस्व नक्शे को दुरूस्त करने का आलौच्स जेरअपील निर्णय दिनांक 20.12.2021 पारित किया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण ने अपील न्यायालय हाजा मे व्यथित पक्षकार होना वर्णित करते हुये प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी बावत अपील पेश करने की इजाजत दिये जाने के साथ इस आशय की पेश की गई कि ख0 नं0 96 का रकबा 0.47 है0 जमाबंदी मे सिवायचक अधीन नगर पालिका

अति. सं. आयुक्त

बांरा (न0 परिषद) है। उक्त भूमि नगर पालिका का आबादी भूमि मे स्थित है इसलिये नगर पालिका बारा प्रकरण आवश्यक पक्षकार है जिसे पक्षकार बनाये बिना निर्णय पारित किया है। ख0 नं0 96 के उत्तर पूर्वी ओर ख0 नं0 97 की 0.31 है0 आराजी स्थित है जो रेस्पो0 क्रम–1 के खाते मे दर्ज है। रेस्पो0 क्रम–1 ने उक्त आराजी पर आवासीय कॉलोनी अनमोल सिटी की प्लानिंग कर ख0 नं0 96 की भूमि को भी अपनी प्लानिंग मे सम्मिलित कर अनमोल सिटी के भूखण्डो का नक्शा जारी किया है। पूर्व मे भी ख0नं0 96 की भूमि पर स्थित रास्ते को अवरूद्ध किया था जिसे नगर परिषद बांरा ने दिनांक 28.316 को खुलवाया था। ख0नं0 104 की 4.9600 है0 एंव ख0नं0 104/674 की 0.03 है0 भूमि भूमि जो कृषि भूमि पर आने जाने का रास्ता ख0 नं0 350 से खसरा नम्बर 96 की भूमि मे होकर है। अपीलांट का अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को पक्षकार बनाये बिना ही सुनवायी का अवसर प्रदान किये बिना जेरअपील निर्णय पारित कर दिया जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत है। ख0 नं0 96 की भूमि से रेस्पो0 क्रम–1 का कोई संबध नही है। नक्शा संबधी विवाद धारा 136 के अन्तर्गत निर्णित नही किया जा सकता इस कारण रेस्पो0 क्रम–1 द्वारा धारा 136 एलआरएक्ट के अन्तर्गत प्रस्तुत कार्यवाही पोषणीय नही थी। गत व वर्तमान सेटलमेंट का स्केल अलग 2 है। उपरोक्त वर्णित तथ्यो पर अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नही कर जेरअपील निर्णय पारित कर दिया जिससे अपीलांट व्यथित पक्षकार है तथा अपीलांट के हितो के विपरीत प्रभाव पडा है। अतः अपील स्वीकार कर जेरअपील निर्णय निरस्त किया जावे तथा रेस्पो0 क्रम–1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर ख0 नं0 96 की कोई भूमि रेस्पो0 क्रम–1 के खाते दर्ज नही किये जाने का आदेश प्रदान किया जावे।

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण मे रेस्पो0 क्रम–1 के उपस्थित नही होने पर तामील पूर्ण मानी जाकर बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एंव रेस्पो0 क्रम–2 सुनी गई।

3 विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील मे वर्णित उपर्युक्त तथ्यों को ही दोहराते हुये अपील स्वीकार कर जेरअपील निर्णय निरस्त करने तथा रेस्पो0 क्रम–1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर ख0 नं0 96 की कोई भूमि रेस्पो0 क्रम–1 के खाते दर्ज नही किये जाने का आदेश प्रदान करने का अनुरोध करते हुये अपने कथन के समर्थन मे डीएनजे (रेवे.)2023 पेज 1420 का न्यायिक उद्धरण पेश किया।

4 विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 क्रम–2 ने अपनी बहस मे अधीनस्थ न्यायालय का आलोच्य निर्णय न्यायोचित होना जाहिर किया।

1 हमने अपील एंव अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकार पर मनन किया। तथा प्रकरण मे विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक नजीर डीएनजे (रेवे.)2023 पेज 1420 पर गौर किया। अपीलांट द्वारा अपील प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी के साथ अपीलाधीन आदेश से व्यथित एंव हितबद्ध पक्षकार होना वर्णित करते हुये अपील पेश करने की इजाजत दिये जाने व डिले कन्डोन हेतु प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम के साथ पेश की है। अतः अपील का गुणावगुण पर विचार करने से पूर्व प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी को निर्णित किया जाना न्यायोचित हैं। चूंकि जेरअपील आदेश अपीलाटस को पक्षकार बनाये बिना व सुनवाई का अवसर दिये बिना पारित किया गया है ऐसी स्थिति मे प्रथम दृष्टया अपीलांट प्रभावित पक्षकार होना प्रकट होने से न्यायहित मे प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी स्वीकार किया जाकर अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार कर अपील पेश करने मे हुआ विलम्ब सद्भाविक होने से क्षम्य किया जाकर न्यायहित मे अपील को अवधि मध्य माना जाता है।

2 हमने अपील का गुणावगुण पर विचार कर आध्योपांत अवलोकन किया तथा बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकार पर मनन कर प्रकरण मे विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक नजीर डीएनजे (रेवे.)2023 पेज 1420 का ध्यानपूर्वक गौर किया। अपील एंव अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध आधार

अति. सं. आयुक्त

अभिलेख तथा आलौच्य जेरअपील निर्णय दिनांक 20.12.2021 के अवलोकन से प्रकट होता है कि रेस्पो0 क्रम–1 घांसीलाल द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 136 एलआरएक्ट को उपखण्ड अधिकारी बांरा द्वारा स्वीकार कर विवादित आराजी ग्राम आमापुरा के ख0 नं0 96 मे से 0.10 है0 भूमि कम कर ख0 नं0 97 मे बढाई जाकर राजस्व नक्शे को दुरूस्त करने का आलौच्य जेरअपील निर्णय दिनांक 20.12.2021 पारित किया गया। प्रश्नगत प्रकरण मे अपीलांट का मुख्य तर्क है कि उक्त भूमि नगर पालिका की आबादी भूमि मे स्थित है इसलिये नगर पालिका बारा प्रकरण आवश्यक पक्षकार है जिसे पक्षकार बनाये बिना निर्णय पारित किया है। ख0 नं0 96 की भूमि से रेस्पो0 क्रम–1 का कोई संबध नही है। नक्शा संबधी विवाद धारा 136 के अन्तर्गत निर्णित नही किया जा सकता इस कारण रेस्पो0 क्रम–1 द्वारा धारा 136 एलआरएक्ट के अन्तर्गत प्रस्तुत कार्यवाही पोषणीय नही थी। ख0नं0 104 की 4.9600 है0 एंव ख0नं0 104/674 की 0.03 है0 कृषि भूमि पर आने जाने का नं0 350 से खसरा नम्बर 96 की भूमि मे होकर है। अपीलांट का अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को पक्षकार बनाये बिना एंव सुनवायी का अवसर प्रदान किये बिना जेरअपील निर्णय पारित कर दिया जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत है।

3 अपीलांट के उपरोक्त तर्क के संबध मे आलौच्य जेरअपील निर्णय दिनांक 20.12.021 एंव पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख के अवलोकन से प्रकट होता है कि आराजी ख0 नं0 96 रकबा 0.4700 है0 सिवायचक अधीन नगरपालिका बांरा के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पो0 क्रम–1 द्वारा धारा 136 एलआरएक्ट के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर ख0 नं0 96 मे से 0.10 है0 भूमि कम कर ख0 नं0 97 मे बढाई जाकर राजस्व नक्शे को दुरूस्त करने का आलौच्य आदेश पारित किया है। आलौच्य आदेश नगर पालिका बांरा को पक्षकार बनाये बिना तथा सुनवाई का अवसर दिये बिना पारित किया जाना प्रकट होता है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत होने से आलौच्य जेरअपील आदेश की पुष्टि नही की जा सकती। यहां यह तथ्य भी विवेचनीय है कि नक्शा संबधी विवाद धारा 136 के अन्तर्गत निर्णित नही किया जा सकता इस कारण रेस्पो0 क्रम–1 द्वारा धारा 136 एलआरएक्ट के अन्तर्गत अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत कार्यवाही पोषणीय नही थी क्योंकि धारा 136 एलआरएक्ट मे लिपिकीय त्रुटि को ही दुरूस्त किया जा सकता है जिसको हितबद्ध पक्षकार स्वीकार करे। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त विधिक प्रावधानो को अनदेखा कर आलौच्य निर्णय पारित कर विधिक त्रुटि की है। रेस्पो0 क्रम–1 यदि भू प्रबन्ध विभाग द्वारा की गई कार्यवाही अथवा नक्शाशीट से व्यथित है तो वह सक्षम न्यायालय मे राजस्व वाद अथवा अपील प्रस्तुत करके अनुतोष प्राप्त करने के लिये स्वतत्र है तथा उस कार्यवाही मे यह निर्णय बाधक नही होगा। सक्षम न्यायालय स्वतंत्र रूप से उस प्रकरण मे आदेश पारित कर सकता है। उक्त तथ्यों के आलोक मे विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील प्रकरण मे प्रस्तुत न्यायिक उद्धरण डीएनजे (रेवे) 2023 पेज 1420 चस्पा होता है। उपरोक्त तथ्यो के परिपेक्ष्य मे हम अधीनस्थ न्यायालय के आलौच्य जेरअपील निर्णय दिनांक 20.12.21 को न्यायोचित नही पाते है। परिणामस्वरूप उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलौच्य जेरअपील निर्णय दिनांक 20.12.2021 अपास्त किया जाता है।

4 निर्णय आज दिनांक 27.6.2024 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(बृजमोहन बैरवा)
अति0 संभागीय आयुक्त
कोटा